न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 61/2020

1. महेन्द्र सिंह पुत्र गीगाराम जाति माली निवासी सिंघाना,तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं।
2. कृष्ण कुमार पुत्र गीगाराम जाति माली निवासी सिंघाना,तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं।
3. ओम प्रकाश पुत्र गीगाराम जाति माली निवासी सिंघाना,तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील सिंघाना, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना
उनवानी सरकार बनाम महेन्द्र वगैरह अ0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 61/2020 निर्णय दिनांक 02.11.2020

उपस्थितिः—

1 श्री धीरज कुमार बोयल, एडवोकेट ----- ------अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट----------------रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 12.03.2011

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.11.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम महेन्द्र वगैरह मु0नं0 61/2020 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार तहसीलदार उप तहसील सिंघाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि— पटवारी हल्का सिंघाना की रिपोर्ट दिनांक 21.10.2020 इस आशय की प्रस्तुत की गई कि खसरा नंबर 161 रकबा 0.80 हैक्टर में 0.03 हैक्टर पर छड़ी बाड़ डाल कर अतिक्रमण किया गया है, जब कि खसरा नंबर 601 रास्ते की भूमि नहीं है। अपीलांट व अन्य खातेदारान की काश्त की भूमि है जिसमें 18 सहखातेदार हैं व सहखातेदारी की भूमि में रास्ता होता तो अलग से उसके खसरा नंबर दर्ज किये जाते पर सहवन से 0.3 हैक्टर में रास्ता दर्ज कर दिया गया खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.12 18:30:25 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर झुन्झुनू

601 की भूमि खातेदारी की भूमि है। हल्का पटवारी ने रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना को प्रस्तुत की है, जब कि रास्ते का प्रकरण उप तहसील सिंघाना में दर्ज किया जाकर निर्णय किया गया है। प्रकरण में अपीलांट को न तो सुना गया, न नोटिस तामील करवाया गया है। एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का गांव के लोगों से मिलकर नया रास्ता कायम करने के उद्देश्य से जल्दबाजी में कार्यवाही की गई है। प्रकरण दिनांक 28.10.2020 को पत्रावली वास्ते तामील गैर सायल हेतु नियत की गई थी, परन्तु गैर सायल अपीलांट को कोई तामील नहीं करवाई गई। पत्रावली में खाली नोटिस लगाया गया है जिस पर अपीलांट के नोटिस प्राप्ति के कोई हस्ताक्षर नहीं है। पत्रावली उसी दिन निर्णय में रख दी गई। अपीलांट को कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का भी कोई आदेश नहीं किया गया है। ना ही मौका देखा गया है, न कोई बयान दर्ज किये गये है। मात्र कयास के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी एक तरफा फैसला किया गया है। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार कर नायब तहसीलदार सिंघाना के निर्णय दिनांक 02.11.2020 प्रकरण संख्या 61/2020 सरकार बनाम महेंद्र आदि निरस्त कर पत्रावली को पुनः इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित की जावे कि अपीलांट को साक्ष्य सबूत का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:—खसरा नंबर 601 रास्ते की भूमि नहीं है। अपीलांट व अन्य खातेदारान की काश्त की भूमि है जिसमें 18 सहखातेदार हैं व सहखातेदारी की भूमि में रास्ता होता तो अलग से उसके खसरा नंबर दर्ज किये जाते पर सहवन से 0.3 हैक्टर में रास्ता दर्ज कर दिया गया। खसरा नंबर 601 की भूमि खातेदारी की भूमि है। प्रकरण में अपीलांट को न तो सुना गया, न नोटिस तामील करवाया गया है। एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का गांव के लोगों से मिलकर नया रास्ता कायम करने के उद्देश्य से जल्दबाजी में कार्यवाही की गई है। प्रकरण दिनांक 28.10.2020 को पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.12 18:30:25 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

वास्ते तामील गैर सायल हेतु नियत की गई थी, परन्तु गैर सायल अपीलांट को कोई तामील नहीं करवाई गई। पत्रावली में खाली नोटिस लगाया गया है जिस पर अपीलांट के नोटिस प्राप्ति के कोई हस्ताक्षर नहीं है। पत्रावली उसी दिन निर्णय में रख दी गई। अपीलांट को कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का भी कोई आदेश नहीं किया गया है। ना ही मौका देखा गया है, न कोई बयान दर्ज किये गये है। मात्र कयास के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी एक तरफा फैसला किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर नायब तहसीलदार सिंघाना के निर्णय दिनांक 02.11.2020 प्रकरण संख्या 61/2020 सरकार बनाम महेंद्र आदि निरस्त कर पत्रावली रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि गैर. मु. रास्ते पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ नायब न्यायालय तहसीलदार सिंघाना द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत निर्णय पारित किया है। पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलांट की तामील नहीं करवायी गई,एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। विवादित भूमि रास्ते की भूमि नहीं होकर उसकी सह खातेदारी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट की विधिवत तामील होना साबित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवे परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.11.2020 उनवानी सरकार बनाम महेन्द्र सिंह नं0 61/2020 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार बुहाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.12 18:30:25 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.3.2021

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.12 18:30:25 IST
Reason: SelfAttested